

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

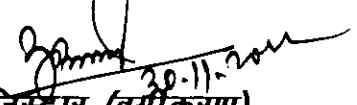
आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 163 /2022 दिनांक : 30.11.2022

श्रीमती नुसरत बानो (RJ0363), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को दिनांक 01.12.2022 से 07.12.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती बानो की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

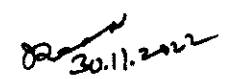
अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/69/2000/ 8010 दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 12328 दिनांक 04.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नुसरत बानो (RJ0363), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।


30.11.2022
सहायक रजिस्ट्रार